संख्या–618/चौवालिस-1-73/77-91

प्रेषक,

श्री कमल कान्त जैसवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोयडा/बीडा के
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2- राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के सचिव/विशेष सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 24 अप्रैल, 1991

विषयः– राज्य के सार्वजनिक उद्यमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का निस्तारण विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण, सेमिनार, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, सिंपोजियम, स्कालर शिप, फेलोनियर्स, विदेशी कम्पनियों से तकनीक अथवा संयंत्र आयात किये जाने की प्रकृति के वर्गीकरण के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर शासन द्वारा समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें से सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–551/44-1=86दिनांक 15 सितम्बर, 1986 एवं शासनादेश सं०–2577/44-1-87, दिनांक 7 मार्च, 1988 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत सरकार द्वारा भी इस विषय पर समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं की प्रक्रिया निर्धारित की जाती रही है। इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था का अध्ययन किया गया और अन्ततः इस विषय पर भारत सरकार द्वारा विदेश यात्राओं की प्रकृति के सम्बन्ध में किये गये वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित प्रणाली को दृष्टिगत करते हुए उपर्युक्त शासनादेशों के अनुक्रम में विदेश यात्रा के प्रस्तावों को निम्नलिखित तीन कोटियों में वगीकृत करते हुए शासन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:–

(1) अध्ययन भ्रमण तथा गवेषणात्मक दौरा (एक्सप्लोरेट्री विजिट्स)

1- सामान्य उद्देश्यों के लिए विदेशों से सामान्य प्रकार का ज्ञान तथा सूचना प्राप्त करने हेतु की गयी विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। ऐसी यात्राओं के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

2- यदि उक्त प्रकार की गयी यात्रा राज्य में प्रचलित या लम्बित किसी विकास योजना से सम्बन्धित हो तो ऐसे विशिष्ठ उद्देश्य के लिए केवल 10 दिन की यात्रा की अनुमति केवल उस दशा में दिये जाने पर विचार किया जा सकता है, जबकि यह योजना/परियोजना प्लान एलोकेशन की परिधि में हो।

3- किसी विचार गोष्टी आदि से सम्बन्धित यात्रा के आदि तथा अन्त के 6 दिवस के अद्यतन भ्रमण की अनुमति केवल उस दशा में अनुमन्य होगी जबकि प्रस्तावित भ्रमण उपर्युक्त 2- से सम्बन्धित हो और उन्हीं अधिकारियों को नामित किया गया हो जो विषय से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों।

4- कामन्वेल्य पार्लियामेन्ट्री कान्फ्रेरेन्सेज में भाग लेने वाले सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रतिनिधियों के लिए अध्ययन भ्रमण की अनुमति हेतु यात्रा दिवसों को छोड़कर केवल तीन देशों तक सीमित रहते हुए अधिकतम 6 दिन ही अनुमन्य होंगे।

(2) विदेशी अतिथ्य के आधार पर विदेश यात्राएं

किसी विदेशी सरकार अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संस्था/अभिकरण (एजेन्सी), क्षेत्रीय ग्रुप या कोई संस्था जिसे मान्यता प्राप्त हो, आदि से प्राप्त होने वाले निमंत्रण स्वीाकर करने से पूर्व भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सहमति के बिना ऐसी यात्राओं की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जायेगी।

(3) एन०आर०आई० इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने/विदेशी सहायता प्राप्त करने तथा विदेशी सहयोग/संविदा को सम्पादित करने के सम्बन्ध में विदेश यात्राएं।

(क) एन०आर०आई० इन्वेस्टमेंट

राज्य क्षेत्र की परियोजना राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित) से सम्बन्धित यात्राओं की अनुमति तभी दी जायेगी (1) जब परियोजना प्लान एलोकेशन से आच्छादित तथा प्लान प्रोजेक्ट्स में अनुमोदित हो।

(2) जब एन०आर०आई० इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पर्याप्त समय हो पहले योजना तैया कर ली गई हों।

(3) यह आवश्क होगा कि योजना के विस्तृत विवरण प्रोजेक्ट प्रोफाइल विदेशों में स्थापित इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर को भेज दिये जायं ताकि वे सम्भाव्य निवेशों (पोटेन्शल इन्वेस्टर) का चिन्हीकरण पहले से ही कर लें।

(ख) विदेशी सहायता

किसी विदेशी सरकार अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी संगठन/विदेशी कम्पनी से सहायता प्राप्त करने के नाम पर निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के नामांकन प्रस्तावों पर विचार न किया जाय।

(ग) सहयोग संविदा (कोलावोरेशन एग्रीमेन्ट)

सहयोग संविदा से सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र से प्राप्त होने वाले समस्त प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किये जाते हैं। अन्य बातों के अतिरिक्त ————————उपादेयता तथा लाभदेयता स्पष्ट होनी चाहिए कि उपक्रमों/निगमों को किस प्रकार का लाभ मिल सकता है। विदेशी संस्थाओं से सहयोग संविदा ऐसे प्रकरण हैं जो निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों द्वारा ही किये जाने चाहिए। भारत सरकार ने विदेशी संस्थाओं से इस प्रकार की संविदा किये जाने हेतु वृद्ध पैरोमीटर निर्धारित किये हैं जिसके सम्बन्ध में शासनादेश सं०–2577/44-1-87, दिनांक 7 मार्च, 1988 द्वारा भी आपको अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की संविदाओं में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रकार के परिवर्तन के भारत सरकार की नीति के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सहयोग संविदा के सम्बन्ध में की जाने वाली यात्राओं को यथा सम्भव प्रोत्साहित न किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह भी कहना है कि भारत सरकार की विदेश यात्राओं से सम्बन्धित जो भी प्रस्ताव भेजे जायेंगे उनकी प्रतियां निश्चित रूप से भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों को भी निम्नलिखित प्रयोजनार्थ भेजी जायेगी तथा उनका अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा:–

(1) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को उनके अनुमोदनार्थ तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु।

(2) विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव का परीक्षण राजनैतिक दृष्टिकोण से करने हेतु।

(3) सम्बन्धित केन्द्रीय प्रशासकीय मंत्रालयों को विदेश यात्रा के उद्देश्य के विवरण सहित उनके सूचनार्थ।

(4) गृह मंत्रालय को प्रस्ताव का परीक्षण सुरक्षा तथा आतिथ्य एवं एफ०सी०आर० के दृष्टिकोण से करने हेतु।

प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्थानुसार शासनादेश संख्या–2437/चौवालिस–1/90-73/77, दिनांक 6 मार्च, 1991 में यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है विदेशी यात्राओं के समस्त प्रस्ताव पूर्ण सूचना सहित भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों को भेजने के पूर्व निगमों के प्रशासकीय विभागों द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया का दृढ़ता से अनुपालन किया जायगा

उक्त प्रक्रिया का अनुपालन समय रहते किये जाने एवं प्रस्ताव भारत सरकार को भी समय रहते भेजे जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 6 मार्च, 1991 के अनुसार प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रस्तावों का पैनल तैयार करने की कार्यवाही पर भी अमल किया जाय।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(कमल कान्त जैसवाल)
सचिव।

संख्या–618 (1)/चौवालिस-1-1991-73/77, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) सचिव, कार्मिक विभाग।

आज्ञा से,
(कमल कान्त जैसवाल)
सचिव।